## उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8

संख्या /2015/01(120)/XXVII(8)/2015

देहरादूनः: दिनांक 3/ अगस्त, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) संपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची—I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची—। के क्रमांक की प्रविष्टि संख्या 44 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी: अर्थात—

क्र0सं0	माल का विवरण
44.	समस्त रासायनिक उर्वरकों का पोटाश एवं फास्फेटिक कम्पोनन्ट जो कि समय–समय
The state of the s	पर उर्वरक नियंत्रक आदेश, 1985 (यथा संशोधित), के अधीन वर्णित हो।
	किसी रासायनिक उर्वरक में फास्फेटिक एवं पोटाश संघटक के मूल्य का अवधारण कृषि
	विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

(अमित सिह नेगी) सचिव।

सं0 <sup>381</sup> /2015 /01(120) / XXVII(8) /2015 तद्दिनांक । प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

प्रातालाप—ानम्नालाखत का सूचनाथ एवं आवश्यक कायवाहा हुतु प्रापतः— 1— आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2— निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3— भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4- सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5— एन०आई०सी०

6- गार्ड फाईल हेत्।

(वाध्य अनुभाग

आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त दल उत्तराखण्ड, देष्टराः जाड़ा स,

(हीरा सिंहे बसेड़ा) अनु सचिव। In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. / 2015/01(120)/ XXVII(8)/2015 dated August, 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No /2015/01(120)/XXVII(8)/2015
Dehradun:: Dated:: August, 2015

## **Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904(U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is please to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the amendment in Schedule-I of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

## Amendment

In Schedule-I, for the existing entry at serial No. 44, the following entry shall be substituted; namely-

Sl.	Description of Goods
no.	
44.	Phosphatic and potash components of all chemical fertilizers described under the Fertilizer (Control) Order, 1985 as amended from time to time.  The value of phosphatic and potash components of a chemical fertilizer shall be determined according to guidelines issued by the Department of Agriculture, Uttarakhand from time to time.

(Amit Singh Negi) Secretary